

असाधारण सामान्य बैठक की सूचना
Notice for Extraordinary General Meeting

15 मार्च 2011, मंगलूर
15TH MARCH 2011, MANGALORE

कार्पोरेशन बैंक



Corporation Bank

A Premier Public Sector Bank

कार्पोरेशन बैंक
प्रधान कार्यालय: मंगलादेवी मंदिर मार्ग,
मंगलूर - 575 001



Corporation Bank
Head Office : Mangala Devi Temple Road,
Mangalore – 575 001

विषय सूची CONTENTS

पृष्ठ संख्या
Page No.

सूचना	1
NOTICE	2
टिप्पणियां	3
NOTES	4
व्याख्यात्मक कथन	5
EXPLANATORY STATEMENT	6
उपस्थिति पत्रक - सह-प्रवेश पत्र	13
ATTENDANCE SLIP CUM ENTRY PASS	
प्रॉक्सी फार्म	15
PROXY FORM	16



कार्पोरेशन बैंक

प्रधान कार्यालय - मंगलादेवी मंदिर मार्ग, मंगलूर - 575 001
द.क. ज़िला, कर्नाटक राज्य, भारत

सूचना

कार्पोरेशन बैंक (शेयर और बैठक) विनियम 1998 के विनियम 57 के अनुसरण में एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कार्पोरेशन बैंक के शेयरधारकों की असाधारण सामान्य बैठक मंगलवार, 15 मार्च, 2011 को अपराह्न 12.30 बजे सहस्राब्दि भवन, कार्पोरेशन बैंक, प्रधान कार्यालय, मंगलादेवी मंदिर मार्ग, पांडेश्वर, मंगलूर-575 001 में संपन्न होगी जिसमें निम्नलिखित मदों पर विचार विमर्श किया जाएगा:

मद संख्या 1

निम्नलिखित पर एक विशेष संकल्प के रूप में विचार करना और उचित समझे जाने पर आशोधन सहित या रहित पारित करना:

“संकल्प किया जाता है कि बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अभिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 3(2बी) (ख), राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1980 के खण्ड 20, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ किए गए ईक्विटी सूचीकरण करार के खण्ड 23 (उसमें किसी आशोधन या पुनराधिनियमन सहित) के प्रावधानों के अनुसरण में और कार्पोरेशन बैंक (शेयर और बैठक) विनियम, 1998 के विनियम 4(ए) के प्रावधानों तथा भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड या संबंधित अन्य किसी प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर निर्धारित अन्य नियम/अधिसूचना/परिपत्र/मार्गनिर्देश, यदि कोई है तो, के अनुसार लागू हद तक और कार्पोरेशन बैंक (बैंक) के निदेशक मण्डल (यत्पश्चात “बोर्ड” कहा गया है, जिस शब्द में बोर्ड द्वारा इस विनियम द्वारा प्रदत्त अधिकारों सहित उसके अधिकारों का प्रयोग करने हेतु गठित/गठित की जानेवाली समिति (याँ) शामिल समझा जाएगा) के अनुमोदन सहमति, अनुमति और मंजूरी के अधीन, एतद्वारा बैंक की ओर से प्रति ईक्विटी शेयर रु. 646/- (रुपए छह सौ छियालीस मात्र) के प्रीमियम पर रु. 10/- (रुपए दस मात्र) के अर्थात् रु. 656/- (रुपए छह सौ छप्पन मात्र) के इश्यू मूल्य दर, बैंक के 47,10,365 ईक्विटी शेयर जिसकी कुल राशि रु. 308.99,99,440 करोड़ (रुपए तीन सौ आठ करोड़ नित्यानवे लाख नित्यानवे हजार चार सौ चालीस मात्र) है, समय-समय पर संशोधित भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (पूँजी निर्गम और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम 2009, (“सेबी आईसीडीआर विनियम”) के अध्याय VII के अनुसार बैंक के प्रवर्तकों को अर्थात् भारत सरकार (भारत के राष्ट्रपति) को अधिमान शेयर के रूप में पेशकश करने, जारी करने और आबंटित करने का प्राधिकार दिया जाता है।”

“यह भी संकल्प किया जाता है कि इस संकल्प के अनुसरण में जारी अधिमान आधार पर और आबंटित किए जानेवाले नये ईक्विटी शेयर डीमैट रूप में होंगे और सेबी आईसीडीआर विनियम के अध्याय VII के अंतर्गत अपेक्षित अनुसार निश्चित अवरुद्धता अवधि (लॉक इन) अपेक्षाओं के अधीन होंगे और बैंक के वर्तमान ईक्विटी शेयरों के साथ सभी दृष्टियों से (लाभांश सहित) सममूल्य होंगे और उन स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध किए जाएंगे जहाँ बैंक के ईक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं।”

“यह भी संकल्प किया जाता है कि बैंक का निदेशक मण्डल उपर्युक्त ईक्विटी शेयरों की पेशकश, निर्गमन और आबंटन के संबंध में, अपने पूर्ण विवेक में आवश्यक समझी जानेवाली कार्रवाई, कार्य, मामले करने या उत्पन्न होनेवाले प्रश्नों और शंकाओं को निपटाने के लिए एतद्वारा प्राधिकृत है।”

“यह भी संकल्प किया जाता है कि बैंक के निदेशक मण्डल को पूर्वोक्त संकल्प को प्रभावी करने के लिए बैंक के निदेशकों की समिति को अपने सभी या किसी अधिकार को प्रत्यायोजित करने का प्राधिकार होगा।”



Corporation Bank

HEAD OFFICE: MANGALADEVI TEMPLE ROAD, MANGALORE – 575 001
D.K. DISTRICT, KARNATAKA STATE, INDIA

NOTICE

NOTICE IS HEREBY GIVEN pursuant to Regulation 57 of the Corporation Bank (Shares and Meetings) Regulations, 1998 that an Extraordinary General Meeting of the Shareholders of CORPORATION BANK will be held on Tuesday, the 15th day of March, 2011 at 12.30 p.m. at Millenium Building, Corporation Bank, Head Office, Mangala Devi Temple Road, Pandeshwar, Mangalore - 575 001, to transact the following business :

Item No. 1

To consider and if thought fit, to pass with or without modification the following as a Special Resolution:

“RESOLVED THAT pursuant to provisions of Section 3(2B) (b) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980, Clause 20 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980 Clause 23 of the Listing Agreement for Equity entered into with the Bombay Stock Exchange Limited and the National Stock Exchange of India Limited (including any amendment thereto or re-enactment thereof) and in accordance with the provisions of Regulation 4(A) of the Corporation Bank (Shares and Meetings) Regulations, 1998 and the other Rules/Notifications/Circulars/Regulations/Guidelines if any prescribed by the Government of India, Reserve Bank of India, Securities and Exchange Board of India or any other relevant authority, from time to time to the extent applicable and subject to approvals, consents, permissions and sanctions, which may be agreed to by the Board of Directors of the Corporation Bank (the **Bank**) (hereinafter referred to as the **“Board”**, which term shall be deemed to include any Committee(s) constituted/to be constituted by the Board to exercise its powers including the powers conferred by this Regulation) be and is hereby authorised on behalf of the Bank, to create, offer, issue and allot 47,10,365 Equity Shares of the Bank of Rs.10/- (Rupees Ten only) each for cash at a premium of Rs.646/- (Rupees Six hundred forty six only) per Equity Share, i.e. issue price of Rs.656/- (Rupees Six hundred fifty six only), aggregating to Rs.308,99,99,440/- (Rupees Three hundred eight crore ninety nine lakhs ninety nine thousand four hundred forty only) by way of Preferential Issue to the promoters of the Bank i.e. the Government of India (President of India) in terms of the Chapter VII of the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009, as amended from time to time (the **“SEBI ICDR Regulations”**).”

“RESOLVED FURTHER THAT the new Equity Shares to be issued and allotted on preferential basis in pursuance of this Resolution shall be issued in dematerialized form and shall be subject to lock-in requirements required under Chapter VII of the SEBI ICDR Regulations and shall rank pari passu in all respects (including Dividend) with the existing Equity Shares of the Bank and be listed on Stock Exchanges where the Equity Shares of the Bank are listed.”

“RESOLVED FURTHER THAT the Board of Directors of the Bank be and is hereby authorised to do all such acts, deeds, matters and to settle any questions or doubts that may arise in regard to the aforesaid offer, issue and allotment of Equity Shares as it may in its absolute discretion deem necessary.”

“RESOLVED FURTHER THAT the Board of Directors of the Bank be and is hereby authorised to delegate all or any of its powers to a committee of Directors of the Bank to give effect to the aforesaid Resolution.”

टिप्पणियाँ

1. व्याख्यात्मक कथन

बैठक की कार्यवाही के संबंध में भौतिक तथ्यों का व्याख्यात्मक कथन इसके साथ संलग्न है।

2. मताधिकार

अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (2ई) के अनुसार केन्द्र सरकार के अलावा प्रतिनिधिक बैंक का कोई भी शेयरधारक बैंक के सभी शेयरधारकों के कुल मताधिकार के एक प्रतिशत से अधिक उसके द्वारा धारित शेयरों के संबंध में मताधिकार हेतु पात्र नहीं होगा।

उपरोक्त के अध्वधीन, शेयरधारक के रूप में पंजीकृत प्रत्येक शेयरधारक को हस्त प्रदर्शन पर एक मत होगा और मतदान के मामले में उसके द्वारा धारित हरेक शेयर हेतु एक मत होगा जो केन्द्र सरकार के अलावा अन्यो के लिए कुल मताधिकार के अधिकतम 1% के अधीन है।

कार्पोरेशन बैंक (शेयर और बैठक) विनियम, 1998 के विनियम 10 के अनुसार यदि कोई शेयर दो या अधिक व्यक्तियों के नामों में है तो रजिस्टर में जिसका नाम पहले है, मतदान के संबंध में, उसको एकमात्र शेयरधारक माना जाएगा।

3. प्रॉक्सी की नियुक्ति

जिन शेयरधारकों को बैठक में भाग लेने का अधिकार है, उसे अपने स्थान पर बैठक में भाग लेने के लिए एक प्रॉक्सी नियुक्त करने का भी अधिकार है तथा ऐसे प्रॉक्सी का कार्पोरेशन बैंक का शेयरधारक होना आवश्यक नहीं है।

तथापि, इस प्रकार नियुक्त प्रॉक्सी को बैठक में बोलने का कोई अधिकार नहीं होगा।

प्रॉक्सी के रूप में ऐसे किसी व्यक्ति की नियुक्ति नहीं की जाएगी जो कार्पोरेशन बैंक का एक अधिकारी या कर्मचारी हो।

विनियम 70(vi) के अनुसार प्रॉक्सी लिखत देने वाला, लिखत से संबंधित बैठक में व्यक्तिगत रूप से वोट देने के लिए पात्र नहीं होगा।

प्रॉक्सी की सूचना प्रभावी होने हेतु प्रॉक्सी फार्म बैठक प्रारंभ होने से **कम-से-कम चार दिन पहले** अर्थात् **गुरुवार, 10 मार्च 2011** को कार्यालय समय की समाप्ति अर्थात् शाम 5.00 बजे से पहले बैंक के प्रधान कार्यालय, मंगलादेवी मंदिर मार्ग, मंगलूर-575 001, कर्नाटक राज्य में प्राप्त हो जानी चाहिए।

4. प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति

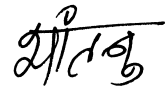
बैंक के शेयरधारक कंपनी निकाय का विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कोई व्यक्ति, असाधारण सामान्य बैठक में भाग लेने और मतदान करने हेतु तब तक पात्र नहीं होगा, जब तक उसे विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करने वाले संकल्प की प्रति को उस बैठक के अध्यक्ष द्वारा, जिस बैठक में वह पारित किया गया हो, सत्यप्रति प्रमाणित किया गया हो, बैठक की तिथि से **कम-से-कम चार दिन पहले अर्थात् गुरुवार, 10 मार्च 2011** को कार्य समय की समाप्ति अर्थात् शाम 5.00 बजे तक या उससे पूर्व बैंक के प्रधान कार्यालय में कंपनी सचिव, कार्पोरेशन बैंक, निवेशक सेवा विभाग, प्र.का. मंगलूर- 575 001, कर्नाटक को प्रस्तुत नहीं किया जाता है।

5. उपस्थिति पत्रक-सह-प्रवेश पत्र

शेयरधारकों की सुविधा हेतु उपस्थिति पत्रक-सह-प्रवेश पत्र इस सूचना के साथ अनुबंधित है। शेयरधारकों/प्रॉक्सीधारकों/प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि उसे भरकर उसमें निर्धारित स्थान पर अपने हस्ताक्षर करें और उक्त उपस्थिति पत्रक बैठक स्थान पर सौंप दें। शेयरधारकों के प्रॉक्सी/प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थिति पत्रक-सह-प्रवेश पत्र में यथास्थिति “प्रॉक्सी” या “प्राधिकृत प्रतिनिधि”, जैसा भी मामला हो, उल्लिखित करें।

6. शेयरधारक कृपया ध्यान दें कि बैठक में कोई उपहार/उपहार-कूपन वितरित नहीं किया जाएगा।

निदेशक मंडल के आदेश द्वारा
कृते कार्पोरेशन बैंक



(एस. के. दाश)
कंपनी सचिव

स्थान : मंगलूर
दिनांक : 19-02-2011

NOTES

1. EXPLANATORY STATEMENT

The Explanatory Statement setting out the material facts in respect of the business of the meeting is annexed hereto.

2. VOTING RIGHTS

In terms of sub-section (2E) of Section 3 of the Act, no shareholder of the corresponding new Bank, other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him/her in excess of one per cent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank.

Subject to above, each shareholder who has been registered as a shareholder shall have one vote on a show of hands and in case of poll shall have one vote for each share held by him subject to maximum of 1% at the total voting rights other than the Central Government.

As per Regulation 10 of the Corporation Bank (Shares and Meetings) Regulations, 1998 if any share stands in the names of two or more persons, the person first named in the register shall, as regards voting, be deemed to be the sole holder thereof.

3. APPOINTMENT OF PROXY

A SHAREHOLDER ENTITLED TO ATTEND THE MEETING, IS ALSO ENTITLED TO APPOINT A PROXY TO ATTEND INSTEAD OF HIMSELF/HERSELF, AND SUCH A PROXY NEED NOT BE A SHAREHOLDER OF THE BANK.

However, the proxy so appointed will not have any right to speak at the Meeting.

No person shall be appointed as a proxy who is an officer or an employee of Corporation Bank.

As per the Regulations 70(vi), the grantor of an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the meeting to which such instrument relates.

The proxy form, in order to be effective, must be received by the Bank at its Head Office at Mangala Devi Temple Road, Mangalore – 575 001, Karnataka State **not later than FOUR DAYS** before the date of the meeting, i.e., on or before the closing hours i.e. **5.00 p.m. of Thursday, 10th March 2011.**

4. APPOINTMENT OF AN AUTHORISED REPRESENTATIVE

No person shall be entitled to attend or vote at the Extraordinary General Meeting as a duly authorised representative of any body corporate which is a shareholder of the Bank, unless a copy of the resolution appointing him/her as a duly authorised representative, certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall have been deposited at the Head Office of the Bank with the Company Secretary, Corporation Bank, Investor Services Department, H.O., Mangalore – 575 001, Karnataka State not later than **FOUR DAYS** before the date of the Meeting i.e., on or before the closing hours i.e. **5.00 p.m. of Thursday, 10th March 2011.**

5. ATTENDANCE SLIP - CUM - ENTRY PASS

For the convenience of the shareholders, Attendance Slip-cum-Entry Pass is annexed to this notice. Shareholders/Proxy holders/Authorized Representatives are requested to fill in and affix their signatures at the space provided therein and surrender the same at the venue. Proxy/Authorized Representative of shareholders should state on the Attendance Slip-cum-Entry Pass as “**Proxy**” or “**Authorized Representative**” as the case may be.

6. Shareholders may kindly note that no gift/gift coupon will be distributed at the meeting.

By order of the Board of Directors
for CORPORATION BANK



(S. K. DASH)

COMPANY SECRETARY

Place : Mangalore

Date : 19-02-2011

व्याख्यात्मक कथन

1. बैंक बैंकिंग और संबंधित क्रियाकलापों के कारोबार में है। संप्रति बैंक की प्राधिकृत पूँजी रु. 3000 करोड़ (रुपए तीन हजार करोड़) है। 31 मार्च 2010 को बैंक की प्रदत्त ईक्विटी शेयर पूँजी रु. 143.44 करोड़ रही।
2. प्रारंभिक पब्लिक ऑफर के समय आपके बैंक का पूँजी आधार रु. 82.00 करोड़ था जिसमें प्रत्येक रु. 10/- के 8,20,00,000 ईक्विटी शेयर थे। वर्ष 1997 में आपके बैंक ने रु. 70/- के प्रीमियम पर प्रत्येक रु. 10/- के 3,80,00,000 ईक्विटी शेयरों के प्रारंभिक पब्लिक ऑफर (आईपीओ) द्वारा अतिरिक्त पूँजी जुटाई थी।

इसके अलावा बैंक ने वर्ष 2001 में भारतीय जीवन बीमा निगम को अधिमान इश्यू द्वारा रु. 186/- के प्रीमियम पर प्रत्येक रु. 10/- के 2,34,40,000 ईक्विटी शेयर जारी किए थे।

वर्तमान में आपके बैंक में भारत सरकार की शेयरधारिता रु. 82.00 करोड़ है जो बैंक की प्रदत्त पूँजी का 57.17% है। 31 दिसंबर 2010 को जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूँजीगत निधियाँ निम्नानुसार हैं :

विवरण (यथा 31.12.2010)	राशि (रु. करोड़ में)	जोखिम भारित आस्तियों से पूँजीगत निधियों का %
जोखिम भारित आस्तियों	79502.11	
टायर – I पूँजी	6461.59	8.13
टायर – II पूँजी	4884.94	6.14
कुल पूँजी निधि	11346.53	14.27

3. पिछले कई वर्षों से बैंक 25% की औसत वृद्धि दर से प्रगति कर रहा है। दीर्घावधि स्रोतों के द्वारा कारोबार में विस्तार करने हेतु तथा बोर्ड के निर्णयानुसार सामान्य उधार प्रयोजनों हेतु निधियों की बढ़ती अपेक्षा को पूरा करने के उद्देश्य से बैंक, समय-समय पर यथा संशोधित भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (पूँजी का निर्गम और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम 2009 (सेबी आईसीडीआर विनियम) के विनियम 76, अध्याय VII के प्रावधानों के अनुसार, 13 फरवरी 2011 को एतदर्थ संबंधित तारीख मानते हुए निर्धारित रु. 656/- के मूल्य पर प्रवर्तकों को अधिमान आधार पर 47,10,365 ईक्विटी शेयर तक अधिमान इश्यू द्वारा जारी करते हुए निधियों को जुटाने का प्रस्ताव रखता है।
4. वर्तमान संकल्प एक विशेष संकल्प के रूप से पारित करने का प्रस्ताव है ताकि बैंक का निदेशक-मण्डल उपर्युक्त अधिमान इश्यू और आबंटन कर सके।
5. सेबी आईसीडीआर विनियमों के प्रावधानों के अनुसार प्रस्तावित अधिमान इश्यू से संबंधित निम्नलिखित ब्योरे प्रकट किए जाते हैं :

I प्रस्ताविक अधिमान इश्यू का उद्देश्य

बैंक द्वारा किए गये अनुमानों के अनुसार 31 मार्च 2011 को 8% टायर – I सीआरएआर रखने हेतु बैंक को समर्थ करने के लिए भारत सरकार के पक्ष में ईक्विटी के अधिमान आबंटन द्वारा रु. 309 करोड़ (रुपए तीन सौ नौ करोड़) की हद तक पूँजी लगाने का भारत सरकार ने निर्णय किया है।

ईक्विटी के इस अधिमान आबंटन के ज़रिए बैंक द्वारा जुटाई पूँजी को बैंक द्वारा अपनी किसी अनुषंगी कंपनियों, संयुक्त उद्यमों आदि में किसी भी रूप से निवेश करने हेतु इस्तेमाल नहीं किया जाएगा।

II उक्त ऑफर हेतु अभिदान करने के लिए प्रवर्तकों/निदेशकों/प्रमुख प्रबंधन व्यक्तियों का प्रस्ताव

निम्नलिखित खण्ड (V) के अनुसार प्रवर्तक के अलावा किसी निदेशक या प्रमुख प्रबंधन व्यक्ति का उक्त ईक्विटी शेयरों में अभिदान करने का उद्देश्य नहीं है।

EXPLANATORY STATEMENT

1. The Bank is in the business of the banking and its related activities. Presently, the Authorised Capital of the Bank is Rs. 3000 crore (Rs. Three thousand crore only). The Paid-up Equity Share Capital of the Bank as on 31st March 2010 is Rs.143.44 crore.
2. At the time of the Initial Public Offer, your Bank had a Capital base of Rs.82.00 crore consisting of 8,20,00,000 equity shares of Rs.10/- each. In the year 1997, your Bank had raised additional capital by way of Initial Public Offer (IPO) consisting of 3,80,00,000 equity shares of Rs. 10/- each at a premium of Rs. 70/-.

The Bank further issued 2,34,40,000 Equity Shares of Rs.10/- each for cash at a premium of Rs.186/- through a Preferential issue to Life Insurance Corporation of India in 2001.

Presently, the shareholding of Government of India in your Bank is Rs.82.00 crore, which constitute 57.17% of total paid-up capital of the Bank. The Capital fund to Risk Weighted Assets as on December 31, 2010 is as under.

Particulars (As on 31.12.2010)	Amount Rs. in crore	% of capital funds to risk weighted asset
Risk Weighted Assets	79502.11	
Tier-I Capital	6461.59	8.13
Tier-II Capital	4884.94	6.14
Total Capital Funds	11346.53	14.27

3. The Bank is growing at an average growth rate of around 25% over the last many years. In order to meet the growing requirement of funds for expanding the business by way of long term resources and for general lending purposes as may be decided by the Board, the Bank proposes to raise funds by way of a Preferential issue of upto 47,10,365 equity shares at a price of Rs.656/- determined in accordance with the provisions of Regulation 76, Chapter VII of the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations 2009, as amended from time to time, (“**SEBI ICDR Regulations**”) considering 13th February 2011 as the Relevant Date for this purpose, on preferential basis to Promoters.
4. The present resolution is proposed to be passed as a special resolution in order to enable the Board of Directors of the Bank to make the above-mentioned preferential issue and allotment.
5. The following details of the proposed preferential issue are disclosed in accordance with the provisions of SEBI ICDR Regulations:

I. The Objects of the proposed Preferential Issue:

To enable the Bank to maintain a minimum of 8% Tier I CRAR as on 31st March 2011 as per the projections made by the Bank, the Government of India has decided to infuse capital to the extent of Rs.309 crore (Rupees Three hundred nine crore only) by way of preferential allotment of equity in favour of the Government of India.

The capital to be raised through this preferential allotment of equity will not be used by the Bank for making investment, in whatever form, in any of its subsidiaries, joint ventures etc.

II. Proposal of the Promoters / Directors / Key Management Persons of the issue to subscribe to the offer:

None of the Directors or Key Management persons other than Promoter as mentioned in Clause (V) below intends to subscribe to the equity shares.

III प्रस्तावित अधिमान ऑफर से पहले और बाद में शेयरधारिता पैटर्न :

क्र. सं.	शेयरधारकों का नाम	शेयरों की संख्या के अनुसार आबंटन से पूर्व	आबंटन से पूर्व प्रदत्त पूँजी का %	शेयरों की संख्या के अनुसार आबंटन के बाद	आबंटन के बाद प्रदत्त पूँजी का %
1.	प्रवर्तक- भारत के राष्ट्रपति	8,20,00,000	57.17	8,67,10,365	58.53
2.	अन्य शेयरधारक	6,14,40,000	42.83	6,14,40,000	41.47
3.	कुल (1+2)	14,34,40,000	100.00	14,81,50,365	100.00

IV अधिमान इश्यू पूरा करने की समयावधि:

शेयरधारकों द्वारा संकल्प पारित करने के 15 दिनों के भीतर आबंटन को पूरा किया जाएगा बशर्ते कि आबंटन का समय ऐसे आबंटन हेतु किसी विनियामक प्राधिकारी, यदि कोई, से अनुमोदन प्राप्त करने हेतु लिए जानेवाले समय तक बढ़ाया जाएगा।

V प्रस्तावित आबंटितियों की पहचान और उनके द्वारा अधिमान इश्यू के पश्चात धारित प्रतिशतता और अधिमान इश्यू के परिणामस्वरूप इश्यूकर्ता के नियंत्रण में परिवर्तन, यदि हो:

शेयरधारकों का नाम प्रस्तावित आबंटित की पहचान	शेयरों की संख्या के अनुसार आबंटन से पूर्व	आबंटन से पूर्व प्रदत्त पूँजी का %	अधिमान आधार पर आबंटित ईक्विटी शेयरों की संख्या	शेयरों की संख्या के अनुसार आबंटन के बाद	आबंटन के बाद प्रदत्त पूँजी का %	आबंटन के बाद वृद्धि का प्रतिशत
भारत के राष्ट्रपति	8,20,00,000	57.17	47,10,365	8,67,10,365	58.53	1.36

बैंक के वर्तमान प्रवर्तक, अर्थात् भारत के राष्ट्रपति बैंक पर अपना नियंत्रण जारी रखेंगे और प्रस्तावित अधिमान आबंटन के परिणामस्वरूप बैंक के प्रबंधन/नियंत्रण में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

VI प्रस्तावित अधिमान इश्यू का मूल्यन :

इश्यू मूल्य सेबी आईसीडीआर विनियमों के अध्याय VII के अनुसार निर्धारित किया जाएगा।

परिणामी ईक्विटी शेयरों का इश्यू मूल्य निर्धारित करने हेतु “संबंधित तारीख” 13 फरवरी 2011 होगी, जो अपेक्षित बहुमत के सदस्यों द्वारा इस संकल्प को पारित करने की तारीख अर्थात् 15 मार्च 2011 से 30 दिन पूर्व तारीख है।

बैंक वचन देता है कि वह इन विनियमों के प्रावधानों के अनुसार जहाँ ऐसा करना अपेक्षित है, विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों के मूल्य को पुनः परिकलित करेगा।

बैंक यह भी वचन देता है कि यदि मूल्य के पुनः परिकलन के कारण देय राशि इन विनियमों में विनिर्दिष्ट समयावधि के अंदर अदा नहीं की जाती है, तो उक्त ईक्विटी शेयर आबंटितियों द्वारा ऐसी राशि अदा करने तक अवरुद्ध रहेंगे।

VII आशय-पत्र:

आपके बैंक को संदर्भ संख्या एफ सं. 11/7/2008-बीओए दिनांक 15 फरवरी 2011 द्वारा वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, वित्तीय सेवाएं विभाग से भारत सरकार अर्थात् भारत के राष्ट्रपति के पक्ष में ईक्विटी के अधिमान आबंटन द्वारा रु. 309 करोड़ (रुपए तीन सौ नौ करोड़ मात्र) की हद तक निवेश की सहमति जताते हुए संसूचना प्राप्त हुई है।

VIII सांविधिक लेखा-परीक्षकों से प्रमाणन:

प्रस्तावित अधिमान इश्यू पर विचार करने के लिए सांविधिक लेखा-परीक्षकों से यह प्रमाणित करते हुए प्राप्त प्रमाण-पत्र शेयरधारकों की असाधारण सामान्य बैठक में रखा जाएगा कि उक्त इश्यू सेबी आईसीडीआर विनियमों की अपेक्षाओं के अनुसार किया जा रहा है। उक्त प्रमाण-पत्र की एक प्रति 15 मार्च 2011 को असाधारण सामान्य बैठक में निरीक्षण हेतु उपलब्ध कराई जाएगी।

III. Shareholding Pattern before and after the proposed Preferential Offer:

Sr. No.	Name of Shareholders	Pre-allotment in terms of No. of Shares	% of pre-allotment Paid Up Capital	Post allotment in terms of No. of Shares	% of Post- allotment Paid Up Capital
1.	Promoter – President of India	8,20,00,000	57.17	8,67,10,365	58.53
2.	Other Shareholders	6,14,40,000	42.83	6,14,40,000	41.47
3.	Total (1+2)	14,34,40,000	100.00	14,81,50,365	100.00

IV. The timeline within which the preferential issue shall be completed:

The allotment shall be made within 15 days of the passing of the resolution by the shareholders, provided the time for allotment shall be extended by the time taken for obtaining approval for such allotment by any regulatory authority if any.

V. The identity of the Proposed Allottees and the percentage of post Preferential Issue capital that may be held by them and change in control, if any, in the issuer consequent to the preferential issue:

Identity of the Proposed Allottee	Pre-allotment in terms of No. of shares	% of the Pre-allotment Paid up Capital	No. of Equity shares to be allotted on Preferential basis	Post allotment in terms of No. of shares	% of Post allotment Paid up Capital	Incremental % post allotment
President of India	8,20,00,000	57.17	47,10,365	8,67,10,365	58.53	1.36

The existing promoters of the Bank i.e. the President of India will continue to vest their control over the Bank and there will not be any change in the management/control on the Bank as a result of the proposed preferential allotment.

VI. Pricing of the proposed Preferential Issue:

The Issue Price will be determined in accordance with the Chapter VII of the SEBI ICDR Regulations.

The “relevant date” for determining the issue price of the resultant equity shares shall be 13th February 2011, being the date which is 30 days prior to the date for passing this resolution by requisite majority of members i.e. 15th March 2011.

The Bank undertakes that it shall re-compute the price of the specified securities in terms of the provisions of these Regulations where it is required to do so.

The Bank also undertakes that if the amount payable on account of the re-computation of price is not paid within the time stipulated in these Regulations, the equity shares shall continue to be locked - in till the time such amount is paid by the allottees.

VII. Letter of Intent:

Your Bank has received a communication vide reference Number F.No. 11/7/2008-BOA dated 15th February 2011 from the Ministry of Finance, Government of India, Department of Financial Services agreeing to infuse to the extent of Rs.309 Crore (Rupees three hundred nine crore) by way of preferential allotment of equity in favour of the Government of India, i.e. President of India.

VIII. Certification from Statutory Auditors:

A Certificate from the Statutory Auditors shall be placed before the Extraordinary General Meeting of the Shareholders, considering the proposed preferential issue, certifying that the issue is being made in accordance with the requirements of the SEBI ICDR Regulations. A copy of the said certificate will be made available for inspection at the Extraordinary General Meeting on 15th March 2011.

IX निश्चित अवरुद्धता अवधि:

सेबी आईसीडीआर विनियमों के अनुसार, प्रवर्तकों अथात् भारत सरकार को अधिमान आधार पर जारी किए जानेवाले प्रस्तावित ईक्विटी शेयर के लिए आबंटन की तारीख से तीन वर्षों के लिए निश्चित अवरुद्धता अवधि होगी।

X उपर्युक्तानुसार जारी ईक्विटी शेयर सभी दृष्टियों से बैंक के वर्तमान ईक्विटी शेयरों के सममूल्य पर होंगे।

6. भारत में बैंक के ईक्विटी शेयरों को सूचीबद्ध किए गए विभिन्न स्टॉक एक्सचेंजों के साथ बैंक द्वारा निष्पादित सूचीकरण करार के खण्ड 23में अन्य बातों के साथ-साथ ऐसा उपबंध है कि जब अतिरिक्त शेयर आबंटित करते हुए बैंक की निर्गमित पूँजी को बढ़ाने का प्रस्ताव है, वहाँ विशेष संकल्प द्वारा सामान्य बैठक में शेयरधारकों द्वारा अन्यथा निर्णय न लेने पर ऐसे शेयर बैंक के वर्तमान शेयरधारकों को उनकी शेयरधारिता के अनुपात में अभिदान हेतु सबसे पहले ऑफर किए जाएंगे। चूँकि पूर्णतः प्रदत्त ईक्विटी शेयरों का प्रस्तावित आबंटन बैंक के वर्तमान शेयरधारकों को अनुपातिक रूप से नहीं है, अतः उपर्युक्त संकल्प पारित करने की आवश्यकता है। यही नहीं, यह सेबी (आईसीडीआर) विनियम, 2009 के विनियम 72 के अंतर्गत अपेक्षित भी है।
7. उपर्युक्त को देखते हुए, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अभिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 3(2ई) के प्रावधानों के अधीन, जो निम्नानुसार हैं,
“केन्द्र सरकार के अलावा प्रतिनिधिक बैंक का कोई भी शेयरधारक प्रतिनिधिक नए बैंक के सभी शेयरधारकों के कुल मताधिकार के एक प्रतिशत से अधिक उसके द्वारा धारित शेयरों के संबंध में मताधिकार हेतु पात्र नहीं होगा।”
और कार्पोरेशन बैंक (शेयर और बैठक) विनियम 1998 के विनियम 61 के साथ पठित भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (पूँजी का निर्गम और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम 2009 के अध्याय VII के अनुसार विशेष संकल्प के रूप में उपर्युक्त संकल्प को पारित करने हेतु शेयरधारकों का अनुमोदन माँगा जा रहा है।
8. आपके निदेशक उक्त संकल्प को आपके अनुमोदन हेतु सिफारिश करते हैं।
9. बैंक के निदेशकों को अपनी व्यक्तिगत हैसियत से या भारत सरकार के नामिती के रूप में बैंक में उनकी शेयरधारिता की हद तक संकल्प की सूचना से संबंधित या हित निहित माना जाए।

निदेशक मण्डल के आदेश से

कृते कार्पोरेशन बैंक

(एस. के. दाश)

कंपनी सचिव

स्थान : मंगलूर

दिनांक : 19-02-2011

संबंधित अधिनियम, विनियम आदि का सार

इस संबंध में क्रमशः यथासंशोधित बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अभिग्रहण तथा अंतरण) अधिनियम, 1980 की संबंधित धाराएँ तथा कार्पोरेशन बैंक (शेयर और बैठक) सामान्य विनियम, 1998 शेयरधारकों की सूचनार्थ पुनः प्रस्तुत है।

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अभिग्रहण तथा अंतरण) अधिनियम, 1980

मताधिकार पर प्रतिबंध

धारा 3(2ई) केंद्र सरकार के अलावा बैंक के कोई भी शेयरधारक उसके द्वारा धारित शेयरों के संबंध में बैंक के सभी शेयरधारकों के कुल मताधिकार के एक प्रतिशत से अधिक मताधिकार प्रयोग करने के लिए पात्र नहीं हैं।

कार्पोरेशन बैंक (शेयर और बैठक) विनियम, 1998

अध्याय II (शेयर तथा शेयर रजिस्टर)

10. संयुक्त धारकों के अधिकारों का प्रयोग:

यदि कोई शेयर दो या दो से अधिक व्यक्तियों के नाम पर है, तो मतदान, लाभांश की प्राप्ति, नोटिस देने तथा शेयर अंतरण को छोड़कर बैंक के सभी या कोई अन्य मामले के संबंध में, उस व्यक्ति को एकमात्र धारक माना जाएगा जिसका नाम रजिस्टर में पहले आता हो।

IX. Lock-in period:

As per SEBI ICDR Regulations, the equity shares proposed to be issued on preferential basis to the Promoters i.e. Government of India shall be subject to a lock-in period of three years from the date of allotment.

X. The equity shares issued as above shall rank pari passu in all respects with the existing equity shares of the Bank.

6. Clause 23 of the Listing Agreement executed by the Bank with the various stock exchanges in India where the Bank's Equity Shares are listed provide inter alia that when it is proposed to increase the issued capital of the Bank by allotment of further shares, such shares, shall be first offered to the existing shareholders of the Bank for subscription in proportion to their shareholding in the Bank unless the shareholders decide otherwise in a general meeting by a special resolution. As it is proposed to allot fully paid up Equity Share is other than pro rata to the existing shareholders of the Bank, the above resolution is required to be passed. Further, it is also a required under Regulation 72 of the SEBI (ICDR) Regulations, 2009.

7. In view of the above, approval of the shareholders is sought, subject to provisions of Section 3(2E) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertaking) Act 1970, which is stated as under:

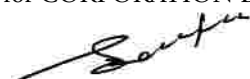
"No shareholder of the corresponding New Bank, other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting right in respect of any shares held by them in excess of one percent of the total voting rights of all the shareholders of the corresponding New Bank."

and in terms of the provisions of the Chapter VII of the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009, as amended read with Regulation 61 of the Corporation Bank (Shares and Meetings) Regulations, 1998 to pass the above Resolution as a Special Resolution.

8. Your Directors recommend the resolution for your approval.

9. The Directors of the Bank may be deemed to be concerned with or interested in the resolution of the notice to the extent of their shareholding in the Bank in their individual capacity or as nominee of Government of India.

By order of the Board of Directors
for CORPORATION BANK



(S. K. DASH)

COMPANY SECRETARY

Place : Mangalore

Date : 19-02-2011

EXTRACTS OF RELEVANT ACTS, REGULATIONS ETC

The relevant sections of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980, as amended, and the relevant regulations of the Corporation Bank (Shares and Meetings) Regulations, 1998, respectively in this regard are reproduced below for information of the shareholders.

THE BANKING COMPANIES (ACQUISITION AND TRANSFER OF UNDERTAKINGS) ACT, 1980

Restrictions on voting rights

Section 3(2E) No Shareholder of the bank, other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him in excess of one per cent of the total voting rights of all the shareholders of the bank.

CCORPORATION BANK (SHARES AND MEETINGS) REGULATIONS, 1998

CHAPTER II (SHARES AND SHARE REGISTER)

10. Exercise of rights of joint holders :

If any share stands in the names of two or more persons, the person first named in the register shall, as regards voting, receipt of dividends, service of notices and all or any other matter connected with the Bank except the transfer of shares, be deemed to be the sole holder thereof.

अध्याय IV (शेयरधारकों की बैठक)

61. सामान्य बैठकों में मतदान-

- (i) किसी भी सामान्य बैठक के मताधीन संकल्प मतदान की माँग नहीं की है तो, हाथ दिखाने पर निश्चित किया जाएगा।
- (ii) अधिनियम में अन्यथा न दिए जाने पर, सामान्य बैठक में प्रस्तुत हर मामले का निर्णय मतों के बहुमत के द्वारा लिया जाएगा।
- (iii) जब तक उप-विनियम (i) के तहत मतदान की माँग न की जाए, बैठक के अध्यक्ष द्वारा यह घोषणा कि हाथ दिखाने के द्वारा सर्वसम्मति से या विशिष्ट बहुमत द्वारा संकल्प किया गया है या नहीं तथा कार्यवाही के कार्यवृत्त के पुस्तकों में इस आशय की प्रविष्टि ऐसे संकल्प के पक्ष में या खिलाफ डाले गए मत की संख्या या अनुपात के प्रमाण के बिना तथ्य का परिणामी साक्ष्य होगा।
- (iv) हाथ दिखाने पर किसी संकल्प पर मतदान के परिणाम की घोषणा पर या उससे पहले, एक मतदान का आदेश दिया जाए जो बैठक के अध्यक्ष द्वारा अपने प्रस्ताव के लिए लिया जाएगा तथा उनके द्वारा लिए जाने के लिए आदेश दिया जाएगा यदि इसके लिए किसी शेयरधारक की ओर से या उपस्थित शेयरधारक व्यक्तिगत रूप से या प्रॉक्सी द्वारा इसकी माँग करें तथा बैंक में शेयर धारित करते हों जो संकल्प पर मतदान करने का अधिकार जो कुल मताधिकार के पाँचवें भाग से कम न हो।
- (v) मतदान हेतु माँग किसी भी समय माँग करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा वापस ली जा सकती है।
- (vi) स्थगन के प्रश्न पर या बैठक के अध्यक्ष के चुनाव की माँग पर मतदान तत्काल किया जाएगा।
- (vii) किसी अन्य प्रश्न पर मतदान की माँग को ऐसी माँग करने के समय के अडतालीस घंटे के अंदर पूरा किया जाएगा जैसा कि बैठक के अध्यक्ष का निर्देश हो।
- (viii) किसी भी व्यक्ति के मतदान करने की योग्यता तथा मतदान के मामले में भी मतदान करने हेतु मतों की संख्या के संबंध में किसी भी व्यक्ति की सक्षमता के संबंध में बैठक के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा।

अध्याय VI (शेयरधारकों का मताधिकार)

68. मताधिकार का निर्धारण -

- (i) अधिनियम की धारा 3(2ई) में सम्मिलित प्रावधानों के अधीन, प्रत्येक शेयरधारक जिन्हें सामान्य बैठक के दिनांक से पहले राजिस्टर की समाप्ति के दिनांक को शेयरधारक के रूप में पंजीकृत किया गया है, ऐसी बैठक में हाथ दिखाने पर एक वोट प्राप्त होगा तथा मतदान के मामले में उनके द्वारा धारित शेयर के लिए हस्त प्रदर्शन पर एक वोट होगा।
- (ii) अधिनियम की धारा 3(2ई) में सम्मिलित प्रावधानों के अधीन, प्रत्येक शेयरधारक जो कंपनी न हो, पूर्वोक्तानुसार मतदान हेतु पात्र है, जो व्यक्तिगत रूप से या प्रॉक्सी द्वारा उपस्थित हो या जो कंपनी होने पर विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा या प्रॉक्सी द्वारा उपस्थित हो, को हाथ दिखाने पर एक वोट प्राप्त होगा तथा मतदान के मामले में उनके द्वारा धारित शेयर के लिए एक वोट होगा जैसा कि उपरोक्त उप-विनियम (i) में उल्लेख किया गया है।
स्पष्टीकरण-इस अध्याय के लिए, “कंपनी” का अर्थ है कोई भी निगमित निकाय।
- (iii) सामान्य बैठक में उपस्थित होने तथा मतदान करने के पात्र बैंक के शेयरधारक उनके स्थान पर उपस्थित होने तथा मतदान करने के लिए अपने प्रॉक्सी के रूप में दूसरे व्यक्ति (शेयरधारक हो या न हो) को नियुक्त करने का अधिकार होगा; तथापि इस प्रकार नियुक्त प्रॉक्सी को बैठक में बोलने का अधिकार नहीं होगा।

69. विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा मतदान-

- (i) शेयरधारक, केंद्र सरकार या कंपनी होने पर, संकल्प द्वारा, यथास्थिति, शेयरधारकों की किसी सामान्य बैठक में उसके प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने हेतु अपने अधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति को प्राधिकृत करेगा तथा इस प्रकार प्राधिकृत व्यक्ति (‘विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि’ के रूप में उल्लिखित) केंद्र सरकार या कंपनी की ओर से वही अधिकार का प्रयोग करने हेतु पात्र होगा जिसका वह प्रतिनिधित्व कर रहा है, मानो वह बैंक का व्यक्तिगत शेयरधारक हो। इस प्रकार प्रदत्त प्राधिकरण वैकल्पिक रूप में दो व्यक्तियों के पक्ष में हो सकता है तथा ऐसे मामले में ऐसे व्यक्तियों में से कोई एक केंद्र सरकार/कंपनी के विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में भी कार्य कर सकता है।
- (ii) कोई व्यक्ति बैंक के शेयरधारकों की किसी भी बैठक में विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने और मतदान करने हेतु तब तक पात्र नहीं होगा जब तक उसे विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करने वाले संकल्प की प्रति को उस बैठक के अध्यक्ष द्वारा, जिस बैठक में वह पारित किया गया हो, सत्य प्रति प्रमाणित किया गया हो, बैठक की निर्धारित तारीख से कम से कम चार दिनों पहले बैंक के प्रधान कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया जाता है।

CHAPTER IV (MEETINGS OF SHARE HOLDERS)

61. Voting at general meetings

- (i) At any general meeting, a resolution put to the vote of the meeting shall, unless a poll is demanded, be decided on a show of hands.
- (ii) Save as otherwise provided in the Act, every matter submitted to a general meeting shall be decided by a majority of votes.
- (iii) Unless a poll is demanded under sub-regulation (i), a declaration by the Chairman of the meeting that a resolution on show of hands has or has not been carried either unanimously or by a particular majority and an entry to that effect in the books containing the minutes of the proceedings, shall be conclusive evidence of the fact, without proof of the number or proportion of the votes cast in favour of, or against, such resolution.
- (iv) Before or on the declaration of the result of the voting on any resolution on a show of hands, a poll may be ordered to be taken by the chairman of the meeting of his own motion, and shall be ordered to be taken by him on a demand made in that behalf by any shareholder or shareholders present in person or by proxy and holding shares in the Bank which confer a power to vote on the resolution not being less than one fifth of the total voting power in respect of the resolution.
- (v) The demand for a poll may be withdrawn at any time by the person or persons who made the demand.
- (vi) A poll demanded on a question of adjournment or election of chairman of the meeting shall be taken forthwith.
- (vii) A poll demanded on any other question shall be taken at such time not being later than forty eight hours from the time when the demand was made, as the chairman of the meeting may direct.
- (viii) The decision of the chairman of the meeting as to the qualification of any person to vote, and also in the case of poll, as to the number of votes any person is competent to exercise shall be final.

CHAPTER VI (VOTING RIGHTS OF SHAREHOLDERS)

68. Determination of voting rights-

- (i) Subject to the provisions contained in Section 3(2E) of the Act, each shareholder who has been registered as a shareholder on the date of closure of the register prior to the date of a general meeting shall, at such meeting, have one vote on show of hands and in case of a poll shall have one vote for each share held by him.
- (ii) Subject to the provisions contained in Section 3(2E) of the Act, every shareholder entitled to vote as aforesaid who, not being a company, is present in person or by proxy or who being a company is present by a duly authorised representative, or by proxy shall have one vote on a show of hands and in case of a poll shall have one vote for each share held by him as stated hereinabove in sub-regulation (i).
Explanation - For this Chapter, "Company" means any body corporate.
- (iii) Shareholders of the Bank entitled to attend and vote at a general meeting shall be entitled to appoint another person (whether a shareholder or not) as his proxy to attend and vote instead of himself; but a proxy so appointed shall not have any right to speak at the meeting.

69. Voting by duly authorised representative-

- (i) A shareholder, being the Central Government or a company, may by a resolution, as the case may be, authorise any of its officials or any other person to act as its representative at any general meeting of the shareholders and the person so authorised (referred to as a "duly authorised representative" in these regulations) shall be entitled to exercise the same powers on behalf of the Central Government or company which he represents, as if he were an individual shareholder of the Bank. The authorisation so given may be in favour of two persons in the alternative and in such a case any one of such persons may act as the duly authorised representative of the Central Government/ company.
- (ii) No person shall attend or vote at any meeting of the shareholders of the Bank as the duly authorised representative of a company unless a copy of the resolution appointing him as a duly authorised representative certified to be a true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall have been deposited at the Head Office of the Bank not less than four days before the date fixed for the meeting.

कार्पोरेशन बैंक

प्रधान कार्यालय: मंगलादेवी मंदिर मार्ग,
मंगलूर - 575 001



Corporation Bank

Head Office : Mangala Devi Temple Road,
Mangalore – 575 001

असाधारण सामान्य बैठक हेतु उपस्थिति पत्रक-सह-प्रवेश पत्र
दिनांक: 15 मार्च, 2011 समय: अपराह्न 12.30 बजे
स्थान: सभागृह
सहस्राब्दि भवन
कार्पोरेशन बैंक
प्रधान कार्यालय, मंगलूर - 575 001.

ATTENDANCE SLIP-CUM-ENTRY PASS
FOR EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
Date : 15th March, 2011 Time :12.30 P.M.
Place : Auditorium
Millennium Building
Corporation Bank
Head Office, Mangalore – 575 001.

उपस्थिति पत्रक ATTENDANCE SLIP (प्रवेश के समय जमा किया जाए) (To be surrendered at the time of entry)

नाम स्पष्ट अक्षरों में NAME IN BLOCK LETTERS (सदस्य Member/प्रॉक्सी Proxy)	फोलियो/डीपीआईडी/ग्राहक आईडी सं FOLIO/DPID/CLIENT ID NO.	शेयरों की संख्या No. of Shares

.....
शेयरधारक/प्रॉक्सी/उपस्थित प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
Signature of Shareholder/Proxy/Representative present

प्रवेश पत्र ENTRY PASS

नाम स्पष्ट अक्षरों में NAME IN BLOCK LETTERS (सदस्य Member/प्रॉक्सी Proxy)	फोलियो/डीपीआईडी/ग्राहक आईडी FOLIO/DPID/CLIENT ID NO.	शेयरों की संख्या No. of Shares

शेयरधारकों/प्रॉक्सीधारकों/प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि बैठक हाल में प्रवेश हेतु इस उपस्थिति पत्रक-सह-प्रवेश पत्र को विधिवत् हस्ताक्षर करके प्रस्तुत करें। प्रवेश-पत्र वाला भाग शेयरधारकों/प्रॉक्सीधारकों/प्रतिनिधियों को लौटा दिया जाएगा जिसे उन्हें बैठक समाप्त होने तक अपने पास रखना चाहिए। फिर भी प्रवेश यथा आवश्यकतानुसार आगे सत्यापन/जाँच के अध्वधीन होगा। किसी भी हालत में बैठक हाल के प्रवेशद्वार पर उपस्थिति पत्रक-सह-प्रवेश पत्र की दूसरी प्रति जारी नहीं की जाएगी।

पुनःश्च: बैठक में कोई उपहार/उपहार कूपन नहीं बाँटे जाएंगे।

Shareholders/Proxy holders/Representatives are requested to produce this Attendance-slip-cum-Entry pass duly signed, for admission to the meeting hall. The Entry pass portion will be handed back to the shareholders/Proxy holders/Representatives, who should retain it till the conclusion of the meeting. The admission may, however, be subject to further verification/checks, as may be deemed necessary. Under no circumstances, will any duplicate Attendance slip-cum-Entry pass be issued at the entrance to the meeting hall.

P.S.: No gifts/gift coupons will be distributed at the meeting.



कार्पोरेशन बैंक

प्रधान कार्यालय: मंगलूर-575 001

फार्म 'बी'

प्रॉक्सी फार्म

(शेयरधारक द्वारा भरकर हस्ताक्षरित किया जाए)

पंजीकृत पोलियो सं. सीबीई.....
(यदि डीमेट न किया गया हो)

डीपीआईडी सं.
ग्राहक आईडी सं.
(यदि डीमेट किया गया हो)

मैं/हम राज्य के
..... जिले के का/के निवासी कार्पोरेशन बैंक
का/के शेयरधारक होने के नाते एतद्वारा राज्य के जिले के
निवासी श्री/श्रीमती
को अथवा उनके उपस्थित न हो सकने पर राज्य के जिले के निवासी
श्री/श्रीमती को 15 मार्च 2011 को, सहस्राब्दि भवन,
कार्पोरेशन बैंक, प्रधान कार्यालय, मंगलूर में आयोजित होनेवाली बैंक के शेयरधारकों की असाधारण सामान्य बैठक में तथा इसके अधिस्थगन में मेरी/हमारी
ओर से मेरे/हमारे लिए वोट देने के लिए प्रॉक्सी नियुक्त करता हूँ/करते हैं।

..... माह के दिन, 2011 को हस्ताक्षरित।

कृपया पंद्रह पैसे
का रसीदी टिकट
चिपकाएं

प्रॉक्सी के हस्ताक्षर

प्रथम धारक/एकमात्र धारक के हस्ताक्षर

नाम :
पता :
.....
.....

प्रॉक्सी फार्म पर हस्ताक्षर करने और प्रस्तुत करने संबंधी अनुदेश

1. प्रॉक्सी लिखत वैध होने के लिए यह जरूरी है कि
क. व्यक्तिगत शेयरधारक के मामले में यह उसके द्वारा या लिखित रूप में विधिवत् प्राधिकृत उसके अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित हो।
ख. संयुक्त धारकों के मामले में सदस्य-रजिस्टर में प्रथम नामित शेयरधारक द्वारा या लिखित रूप में विधिवत् प्राधिकृत उसके अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित हो।
ग. किसी कार्पोरेट निकाय के मामले में सामान्य मोहर अगर, कोई है, के साथ उसके अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित एवं निष्पादित किया जाएगा या अन्यथा लिखित रूप में विधिवत् प्राधिकृत उसके अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित हो।
2. प्रॉक्सी की कोई लिखत जिस में शेयरधारक के अंगूठे का निशान है, वैध होगी बशर्ते यह किसी जज, मजिस्ट्रेट या उप-रजिस्ट्रार, एग्योरेंस या किसी अन्य सरकारी राजपत्रित अधिकारी या कार्पोरेशन बैंक के अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित हो।
3. प्रॉक्सी के साथ
क. मुख्तारनामा या अन्य प्राधिकार (यदि कोई है) जिसके तहत यह हस्ताक्षरित किया गया या
ख. नोटरी पब्लिक या किसी मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित उस मुख्तारनामा या प्राधिकार की प्रति असाधारण सामान्य बैठक प्रारंभ होने की तारीख से **चार दिन पहले** अर्थात् **गुरुवार, 10 मार्च 2011** को कार्यालय समय की समाप्ति अर्थात् 5.00 बजे तक या उसके पहले कार्पोरेशन बैंक के प्रधान कार्यालय में जमा किया जाना चाहिए।
4. यदि संबद्ध मुख्तारनामा कार्पोरेशन बैंक या इसके शेयर अंतरण एजेंट के पास पहले ही पंजीकृत किया जा चुका है तो मुख्तारनामे की पंजीकरण संख्या तथा ऐसे पंजीकरण की तिथि उल्लिखित की जानी चाहिए।
5. कोई भी प्रॉक्सी तब तक वैध नहीं होगी जब तक कि उस पर विधिवत् स्टैम्प न लगाया जाए।
6. बैंक में जमा की गई प्रॉक्सी लिखत अप्रतिसंहरणीय तथा अंतिम होगी।
7. यदि प्रॉक्सी लिखत वैकल्पिक रूप में दो प्राप्तिकर्ताओं के पक्ष में मंजूर की गई तो एक से अधिक फार्म निष्पादित नहीं किया जाएगा।
8. शेयरधारक जिसने प्रॉक्सी लिखत निष्पादित की है, ऐसी लिखत जिस बैठक से संबंधित है उसमें व्यक्तिगत रूप से वोट डालने का हकदार नहीं होगा।
9. कार्पोरेशन बैंक के किसी कर्मचारी अथवा अधिकारी को विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि या प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा।
10. कोई भी प्रॉक्सी लिखत तब तक वैध नहीं होगी जब तक कि यह फार्म 'बी' में न हो।



Corporation Bank

Head Office : Mangalore – 575 001

Regd. Folio No.CBE.....
(If not Dematerialised)

DPID No.....
Client ID No.....
(If Dematerialised)

FORM 'B'

FORM OF PROXY

(To be filled in and signed by the shareholder)

I/We, _____ Resident
of _____ in the district of _____ in the State of _____
_____ being a shareholder/s of CORPORATION BANK, hereby appoint Shri/Smt. _____
_____ resident of _____ in the district
of _____ in the State of _____ or failing him/her,
Shri/Smt. _____ resident of _____ in the district of _____
_____ in the State of _____ as my/our proxy to vote for me/us on my/our behalf at
the EXTRAORDINARY GENERAL MEETING of the shareholders of the Bank to be held on 15th day, the March 2011, at
MILLENNIUM BUILDING, CORPORATION BANK, HEAD OFFICE, MANGALORE and at any adjournment thereof.

Signed this _____ day of _____ 2011.

.....

Signature of the Proxy

Signature of the first holder/sole holder

Name : _____
Address : _____

Please affix
fifteen paise
revenue stamp

INSTRUCTIONS FOR SIGNING AND LODGING THE PROXY FORM

- The instrument of proxy to be valid,
 - in case of an individual shareholder, shall be signed by him/her or by his/her attorney duly authorised in writing.
 - in the case of joint holders, shall be signed by the shareholder first named in the Register of Members or by his/her attorney duly authorised in writing.
 - in the case of a body corporate, shall be signed by its officer and executed under its Common Seal, if any, or otherwise signed by its attorney duly authorised in writing.
- An instrument of proxy, in which the thumb impression of the shareholder is affixed, will be valid provided it is attested by a Judge, Magistrate, Registrar of Sub-Registrar of Assurances or any other Government Gazetted Officer or an officer of Corporation Bank.
- The proxy together with
 - the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed or
 - a copy of that power of attorney or authority, certified by a Notary Public or a Magistrate, should be deposited at the Head Office of Corporation Bank, not later than FOUR DAYS before the date of the Extraordinary General Meeting, i.e. on or before closing hours i.e. **5.00 p.m. of Thursday 10th March, 2011.**
- In case the relevant power of attorney is already registered with Corporation Bank or its Share Transfer Agent, the registration number of the power of attorney and the date of such registration may be mentioned.
- No proxy shall be valid unless it is duly stamped.
- An instrument of proxy deposited with the Bank shall be irrevocable and final.
- In the case of an instrument of proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.
- The shareholder who has executed an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the meeting to which such instrument relates.
- No person shall be appointed as duly authorised representative or a proxy who is an officer or an employee of CORPORATION BANK.
- No instrument of proxy shall be valid unless it is in Form "B".

बुक पोस्ट
BOOK POST

अवितरित होने पर कृपया निम्न पते पर लौटाएं:

कावी कम्यूटर्शेयर प्रा. लिमिटेड

यूनिट: कार्पोरेशन बैंक

प्लॉट नं. 17-24

विट्टल राव नगर

माधपुर

हैदराबाद – 500 081

टोल फ्री नं. 1-800-3454-001

ई-मेल: einward.ris@karvy.com

निवेशक शिकायत ई-मेल: isd@corpbank.co.in

If undelivered please return to:

KARVY COMPUTERSHARE PVT. LTD.

Unit: Corporation Bank

Plot No. 17-24

Vittal Rao Nagar

Madhapur

Hyderabad – 500 081

Toll free No. 1-800-3454-001

E-mail: einward.ris@karvy.com

Investor Grievances E-mail: isd@corpbank.co.in